

16/12/25

रा० वा० सं.- 63/25 निम्नान-सिमरजीत डोर 1/5 जोगाराम कोठे
 वादीनी वहील उपस्थित। वादी वहील द्वारा
 जार्जना-पत्र पभावली आज पेशी तारीख पर
 तलब डर अनिच्छ डिफ्री जारी करने बाबत अस्तुत
 किया गया। वादी वहील द्वारा अस्तुत जार्जना-पत्र
 स्वीकार किया जाकर पभावली आज पेशी तारीख
 पर तलब ही गई, तदमीलदार बायतु से विभा-
 जन अस्ताव प्राप्त जिसे शामिल पभावली किया
 गया। तदमीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन अस्ताव
 पर वादीनी के वहील ही रडपस्त्रि बद्धा सुनी
 गई, वादीनी के अधिवक्ता विभाजन अस्ताव से
 सहमत है व तदमीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन
 अस्ताव को स्वीकार किया जाकर विभाजन अस्ताव
 अनुसार वाड को डिफ्री किया जाने का निवेदन किया
 गया। वादीनी के अधिवक्ता ही बद्धा सुनने के बाद
 वादीनी का वाड व तदमीलदार बायतु से प्राप्त विभा-
 जन अस्ताव को स्वीकार किया जाकर विभाजन अस्ताव
 अनुसार पत्रकारों के मध्य विभाजन किया जाता है।

क्र.सं	नाम ध्यालेदार	नाम ग्राम	घ.नं.	रकबा	वि.सं	खान
1.	सिमरजीत डोर पति	बायतु	1173	0.2429	वा. डो.	0.01
	डरजीतकिंदे जाति-जाट	चिमनजी	1121	है	डो.	
	सिध्द सा. बायतु भोरनी					
	ध्यालेदार					
			योग :-	01	0.2429	वा.डो. 0.01

2.	इसराराम पुत्र नरमौराम	809	बायतु	1173	4.0044	है	वा.डो.	0.24
		40044	चिमनजी	1121				
	जाति-जाट सा. बाहला जैवलमै							
	जोगाराम पुत्र ध्यानाराम	7079						
		40044						
	जाति- राईडा सा. डेट, नारवाराम							
	पुत्र डोटलाराम	12539						
		40044						
	जाति- राईडा, मेघाराम पुत्र डोटलाराम							
	जाति- राईडा							

उपस्थित अधिकारी, बायतु
 जिला - बालोसरा



हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

मोहरो देवी पीतन व्याखाराम

हिं - 7079/40044

जाती - राईडा, विरमाराम

पुत्र भीमाराम हिं 009
40044

जाती - जाट सां डाडूवेरी

सिगदरी व्यातेडार

योग:- 01 4.0044 ई. चांरी. 0.24

उपरोक्तानुसार पञ्जकारों के मध्य
विभाजन विभा जाता है। विभाजन अन्तव डा
नक्शा निर्धारण डा इम्प्लिन्ट प्रोजेक्ट रहेगा। तदनुसार
व्याप्त निर्धारण अनुसार राजस्व रैड में इम्प्ल-
डरामस रुई डि.डी पचा जारी होकर पञ्जावली प्रसव
युमार है, दर्ज नम्बर से कम है, दायित्व दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान R.A.S.

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सिमरजीत कौर पत्नि श्री हरजीत कौर जाति जट सिख निवासी बायतु भोपजी, तहसील बायतु जिला बालोतरा।

1. जोगाराम पुत्र खानूराम
2. नारणाराम पुत्र कोहलाराम
3. मेघाराम पुत्र कोहलाराम
4. मोहरी देवी पत्नि खानूराम जाति राईका निवासी बायतु चिमनजी, तहसील बायतु जिला बालोतरा।
5. विरमाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी 6 एन.एम. बाहला, जैसलमेर।
6. तहसीलदार बायतु।

दावा बाबत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 63/2025

निर्णय दिनांक :- 16.12.2025

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.12.2025 को (नाम पीठासीन अधिकारी) श्री कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



Kalpar
(कल्पित शिवरान) बायतु
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़

Kalpar
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु